

कार्यालय : अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जैसलमेर

पैरालीगल वॉलेन्टियर्स की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा जैसलमेर जिले में स्थापित प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों व जेलों पर विधिक सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाकर विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा विधिक जागरूकता के प्रसार हेतु निम्नलिखित पंचायत समिति क्षेत्रवार 25 पैरालीगल वॉलेन्टियर्स (पी.एल.वी.) की नियुक्ति की जानी है:-

क्र. सं.	क्षेत्र	संख्या
1	पंचायत समिति जैसलमेर के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	6
2	पंचायत समिति मोहनगढ क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	4
3	पंचायत समिति सम के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	3
4	पंचायत समिति फतेहगढ के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	3
5	पंचायत समिति नाचना के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	3
6	पंचायत समिति सांकडा के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	3
7	पंचायत समिति भणियाणा के क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति	3
योग		25

पैरालीगल वॉलेन्टियर्स जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। पैरालीगल वॉलेन्टियर्स विधिक सेवा क्लिनिक का संचालन करेंगे तथा आमजन एवं विधिक सेवा संस्थाओं के मध्य कड़ी का कार्य करेंगे। प्रत्येक पैरालीगल वॉलेन्टियर को प्रति कार्यदिवस 750/-रुपये का मानदेय वास्तविक कार्य किये जाने के आधार पर देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भुगतान देय नहीं होगा।

(1) **शैक्षणिक योग्यता** :- आवेदक सैकेण्ड्री (मैट्रिक) परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) **आवेदन पत्र** :- इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) **परीक्षा** :- आवेदकों का साक्षात्कार द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा, प्रशिक्षण के पश्चात पी.एल.वी. की लिखित परीक्षा व साक्षात्कार लिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी. माना जाकर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा।

(4) **चरित्र** :- आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिये।

(5) शारीरिक योग्यता :- आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावे :-

- 1- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- 2- शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।
- 3- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- 4- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।
- 5- जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- 6- मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- 7- आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति।
- 8- कम्प्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।

(7) आवेदन की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 20.08.2026 तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा कार्यालय समय तक पहुँच जाना चाहिए। इस तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के सलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता :- पी.एल.वी. चयन करते समय यदि आवश्यकता से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा। पी.एल.वी. चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ट्रांसजेण्डर्स व महिला आवेदकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी. चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सेवानिवृत्त अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम.एस.डबल्यू छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजिशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लायर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लब, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे।

चयनित पी.एल.वी.के कर्तव्य (ड्यूटी):

- 1- समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 2- आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिए निस्तारित किये जाने की जानकारी देना।

- 3- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यों पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिए दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित या मौखिक रूप से अवगत कराना।
- 4- पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व BNSS की धारा 396 के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत जानकारी देना।
- 5- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृत किये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना।
- 6- बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापार संबंधी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना,
- 7- विवादों का सेटलमेन्ट, प्रिलीमिनेशन, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडिएशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना।
- 8- पी.एल.वी. द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना।
- 9- पी.एल.वी. द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, वाटर सप्लाई, बीमा, व अस्पताल संबंधी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते हैं।
- 10- पी.एल.वी. द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं संबंधी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना।

नोट:-

1. निम्नलिखित व्यक्ति पैरालीगल वॉलियन्टीयर्स हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं हैं:-

अधिवक्तागण, राजनीतिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए व्यक्ति, राजनीतिक संगठनों से जुड़े हुए एन. जी.ओ. के कार्यकर्ता, किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का अभियुक्त हो, ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से पैरालीगल वॉलेन्टीयर का कार्य करने में असक्षम हो, ऐसे व्यक्ति जिनके व्यक्तिगत हित किसी भी आधार पर पैरालीगल वॉलेन्टीयर स्कीम के हितों को प्रभावित करते हो।

2. पीएलवी की नियुक्ति तथा हटाने से संबंधित संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के पास सुरक्षित रहेंगे।

(9) स्पष्टीकरण :- स्पष्ट किया जाता है कि चयनित पी.एल.वी. को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा समय समय पर नियत (फिक्स) मानदेय के अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नहीं दिया जायेगा।

नोट :- आवेदनकर्ता सलग्न प्रारूप में आवेदन करें।


 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
 (जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
 जैसलमेर

पैरा लीगल वॉलंटियर्स (पी.एल.वी.) के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	नाम आवेदक		अभ्यर्थी का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो
2.	पिता का नाम		
3.	आवेदक के पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित हो तो) (यदि आवेदक अविवाहित हो तो स्पष्टतः "अविवाहित" लिखें)		
4.	संवर्ग-सामान्य/अजा/अजजा/ अपिवर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)		
5.	स्थायी पता मय दूरभाष/ मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी		
6.	वर्तमान पता		
7.	निकटतम पुलिस स्टेशन		
8.	जन्म तिथि (अंकों में) (शब्दों में)		
9.	शैक्षणिक योग्यता		
10.	यदि आवेदक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो किस पद से सेवानिवृत्त हुए		
11.	आवेदक के विरुद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नहीं, यदि है तो पूर्ण विवरण		
12.	आवेदक पूर्व में यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया हुआ है तो पूर्ण विवरण		
13.	कम्प्यूटर का ज्ञान रखता हो तो विवरण लिखें		
14.	आवेदक किस क्षेत्र का निवासी है:-	1. ग्राम 2. ग्राम पंचायत 3. पंचायत समिति 4. जिला	
15.	आवेदक वर्तमान में किसी संस्था, NGO किसी विशेष ग्रुप से जुड़ा है तो उसका विवरण		

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मैं सत्यापित करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित उपरोक्त सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है।

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)